न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 42/2017

RCMS No. 2017/00318

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. सायरीदेवी पुत्री राधाकिशन पत्नी विष्णुदत्त कुमावत वर्तमान निवासी डिग्गी मोहल्ला ब्यावर		1. सम्पतराज पुत्र दीपचन्द पौत्र राधाकिशन 2. हंसराज पुत्र दीपचन्द पौत्र राधाकिशन 3. दुर्गादेवी पत्नी दीपचन्द पुत्रवधु राधाकिशन जातिगण कुम्हार निवासीगण पिपलिया कलां 4. तहसीलदार रायपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति –

1. श्री मोहम्मद शरीफ काज़ी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री गोरादान आशिया, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3

–: निर्णय :–

दिनांकः– 14/9/2018

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध प्रस्तुत की। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड का तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पिपलिया कलां तहसील रायपुर के खसरा नमबर 429/3 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 429/4 रकबा 13 बिस्वा कुल खसरा 2 जिसका कुल रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा की भूमि राधाकिशन पुत्र हिरा जाति कुम्हार निवासी पिपलिया कला के नाम खातेदारी दर्ज है। अपीलाण्ट राधाकिशन की पुत्री है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 राधाकिशन के पुत्र दीपचन्द के विधिक वारिशान है। राधाकिशन फौत होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र दीपचन्द एवं दीपचन्द के पश्चात उनके विधिक वारिशान के तौर पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दी, जबकि अपीलाण्ट का भी राधाकिशन की पुत्री होने के कारण उक्त भूमि में 1/2 हक हिस्सा निहित था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राधाकिशन के विधिक वारिशान की समुचित जांच नहीं की तथा न ही अपीलाण्ट को किसी प्रकार से सुनवाई का अवसर प्रदान किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश के जरिये उक्त भूमि का नामान्तरकरण दीपचन्द पुत्र

अति. जिला कलेक्टर, पाली

राधाकिशन अकेले के नाम दर्ज किया, जबकि इस भूमि के 1/2 हिस्से के राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्ट का नाम भी दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत था। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत पुत्री को प्रथम श्रेणी की वारिश माना गया है, इस कारण अपने पिता की सम्पति में बतौर पुत्री अपीलाण्ट का हक हिस्सा निहित है। लिहाजा अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जावे एवं जैर अपील नामान्तरकरण को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि इसी भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में इसी न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 03.04.2018 को नियत है। इस प्रकार रेफरेन्स के विचाराधीन रहते यह अपील पोषणीय नहीं है। इसके अतिरिक्त भी यदि अपील स्वीकार की जाती है, तो विचाराधीन रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विलम्बित हो जायेगा। अतः विधि अनुसार अपील खारिज योग्य है, जो खारिज की जावे, विकल्पेण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान में विचाराधीन रेफरेन्स प्रकरण के निर्णय तक अपील में कार्यवाही प्रास्थगित रखी जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में वकील अपीलाण्ट के कथनों पर गौर किया गया। इस सम्बन्ध में आर0एल0आर0 2000 (2) चिमनलाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य में भी वृहदपीठ द्वारा यह व्यवस्था प्रदान की है कि "No Period of Limitation provided either u/s 27-A of the Act or u/R272 og the Rules for exercising revisional power—Wather revisional power can be exrcised at any time – Held, when no period of limitation is provied either under Act or Rules then power has to exercised within reasonable time and reasonable time will depend upon facts and circumstances of each case" इस अनुसार युक्तियुक्त समय की संगणना प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों पर निर्भर करना प्रतिपादित किया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां हक हकूकों का प्रश्न निहित हो, वहां प्रकरण का मियाद का बिन्दु गौण रखते हुए प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना ही न्यायोचित माना है। अतः प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। अपीलाण्ट ने स्वयं को राधाकिशन की पुत्री होना बताते हुए राधाकिशन की खातेदारी भूमि मौजा पिपलिया कला के खसरा नम्बर 429/3 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 429/4 रकबा 13 बिस्वा कुल खसरा 2 जिसका कुल रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा की भूमि में अपना 1/2 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने का अनुतोष चाहा है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा किसी भी रूप में अपीलाण्ट को राधाकिशन की पुत्री होने से इन्कार नहीं किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट राधाकिशन की पुत्री है, जिसका हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार उक्त भूमि में हक अधिकार

अति. जिला कलेक्टर, पाली

निहित है। अब प्रश्न यह उद्‌भूत होता है कि नामान्तरकरण अपील से रेफरेन्स प्रकरण प्रभावित होगा अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में हमारा विनम्र मत यह है कि उक्त नामान्तरकरण अपील के जरिये यदि अपीलाण्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश पारित किया जाता है, तो निश्चय ही उक्त रेफरेन्स प्रभावित होगा। इस हेतु विधिक दृष्टिकोण से प्रकरण में विवादित आराजी से सम्बन्धित रेफरेन्स के निर्णय तक इस अपील को प्रास्थगित रखा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील इस रूप में निर्णित की जाती है कि प्रकरण में विवादित आराजी के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन रेफरेन्स प्रार्थना पत्र के अन्तिम निर्णय तक हस्तगत अपील को Keep in abeyance रखते हुए अपील का निस्तारण किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम हो।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 14/9/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली